16.12.2022 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0।

आवेदक/सुपुर्ददार मिश्रा पोटा द्वारा अधिवक्ता श्री डी0एस0 पटेल उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है।

थाना बरमकेला के अपराध क्रमांक 395/2022 अंतर्गत धारा 279, 337 व 304 ए भा0द0वि0 की केस डायरी मय विरोध प्रतिवेदन प्राप्त।

अभियोजन अधिकारी को उक्त आवेदन पत्र की प्रतिलिपि दी गई, अभियोजन द्वारा आवेदन पत्र का विरोध किया गया है।

सुपुर्दनामा आवेदन पत्र पर तर्क सुना गया।

आवेदन पत्र संक्षेप में यह है कि थाना बरमकेला द्वारा आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वाहन मोटरसायकल बजाज प्लेटिना पंजीयन क्रमांक CG 06 GX 1240 को जप्त किया गया है। आवेदक जप्तशुदा वाहन का एक मात्र पंजीकृत स्वामी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है जिसके लंबे समय तक थाने में खुले में पड़े रहने से उसके कलपूर्ज आदि संयत्र क्षतिग्रस्त होने की व उसके मूल्य में अवमूल्यन होने की प्रबल संभावना है। आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन को सुपुर्दनामे पर प्राप्त करना चाहता है। अतः उसे सुपुर्दनामा पर दिया जाये।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि थाना बरमकेला के अपराध क्रमांक 395/2022 अंतर्गत धारा 279, 337 व 304 ए भा0द0वि0 के अंतर्गत वाहन मोटरसायकल बजाज प्लेटिना काले रंग का पंजीयन क्रमांक CG 06 GX 1240 जप्त किया गया है। जप्तशुदा वाहन का आर0सी0 बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति जप्त किया गया है। जिसके आधार पर वाहन मोटरसायकल बजाज प्लेटिना पंजीयन क्रमांक CG 06 GX 1240 का पंजीकृत स्वामी मिश्रा पोटा पिता उदल पोटा होना दर्शित होता है। बीमा प्रमाण पत्र के अवलोकन से दर्शित होता है कि घटना दिनांक को बीमा प्रभावशील था। उक्त वाहन को आवेदक सुपुर्दनामें पर प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त वाहन सतत् उपयोग हेतु निर्मित है तथा उक्त वाहन मशीनरी वस्तु है जो देखभाल के अभाव में खराब होने तथा मूल्य एवं उपयोगिता में गिरावट आना अवश्यंभावी है। अतः आवेदक को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आवेदक द्वारा ₹80,000/- (अस्सी हजार रूपये) का सुपुर्दनामा बंध पत्र 50/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्वयं का छायाचित्र चस्पा कर प्रस्तुत किये जाने पर मय सुसंगत दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति निष्पादित किये जाने पर जप्तशुदा वांछित वाहन मोटरसायकल बजाज प्लेटिना पंजीयन क्रमांक

CG 06 GX 1240 को अग्रलिखित शर्तों पर **आवेदक/सुपुर्ददार मिश्रा पोटा पिता उदल पोटा** को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया जावे :–

1– आवेदक उक्त वाहन के रंग, रूप एवं स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

2– आवेदक उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर न्यायालय द्वारा वान्छित स्थान पर पेश करेगा।

3– आवेदक मूल दस्तावेजों को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक सुरक्षित रखेगा तथा न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर स्वयं के व्यय पर न्यायालय द्वारा वांछित स्थान पर पेश करेगा।

4– आवेदक वाहन के मूल दस्तावेजों की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि एक सेट केस डायरी में संलग्न करने हेतु थाने को प्रस्तुत करेगा तथा एक सेट न्यायालय में अभिलेख में संलग्न करने हेतु पेश करेगा।

केस डायरी वापस कर पावती ली जावे।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि के अंतर्गत अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/–
(शीलू सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़